

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रांक- २१०५ /३३-१, दिनांक, गोण्डा, नवम्बर २२/२०२३

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-३० के किमी० ४.१५० से किमी० ६४.२८२ तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित १५.३३ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २२५० वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित ३२.०३५२ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक २४८९७ वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित ३५.३५६ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ८५४६ वृक्षों के पातन अर्थात् कुल ८२.७२१२ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक ३५६९३ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/147236/2021)

संदर्भ:-

महोदय,


आपका पत्रांक-४२०/११-सी- FP/UP/ROAD/147236/2021 दिनांक १६.०८.२०२३

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-३० के किमी० ४.१५० से किमी० ६४.२८२ तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित १५.३३ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २२५० वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित ३२.०३५२ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक २४८९७ वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित ३५.३५६ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ८५४६ वृक्षों के पातन अर्थात् कुल ८२.७२१२ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक ३५६९३ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा आपत्तियाँ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रांक-१३६८/३३-१, दिनांक ०१.११.२०२३ व प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने अपने पत्रांक-१९६४/३३-१, दिनांक २७.११.२०२३ तथा प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती ने अपने पत्रांक-१०४५/३३-१, दिनांक ०१.११.२०२३ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव ०३-०३ प्रतियों में दिनांक २१.११.२०२३ को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव ०२-०२ प्रतियों मूल में संलग्नकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-प्रस्ताव ०२-२ प्रतियों मूल में।

भवदीय,



(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग, गोंडा।

पत्रांक-1368 /33-1, दिनांक, गोंडा, अक्टूबर-01-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
दवीपाटन वृत्त,
उ०प्र०, गोंडा।

विषय:-

बहराइच-गोंडा एस०एच०-30 के कि०मी० 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुदृणीकरण में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2637 वृक्ष तथा 22260 पौधों के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/०६/181/2023/एफ०सी०/295 दिनांक 10.08.2023 पर पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 420/11सी० दिनांक 16.08.2023 एवं आपका पत्रांक 596/33-1 दिनांक 17.08.2023

महोदय,


विषयांकित प्रकरण के क्रम में आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 542/33-1 दिनांक 17.08.2023 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को लिखा गया, उनके द्वारा अपने पत्रांक 276/3सी/2023 दिनांक 09.10.2023 द्वारा आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण किया गया है दिवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	आपत्तियाँ	उत्तरालेख
1	As per the proposal area propped for diversion is 82.7212 Ha. But according to the KML file it is 90.89 Ha. Which is not matching. The KML file of the area proposed for diversion needs to be rectified.	The proposed area for forest diversion is 82.7212 Ha. Accordingly, the KML file has been rectified and enclosed here with as annexure-1(PAN DRIVE ATTACHED) The same will be uploaded in parivesh portal.
2	The KML file of the chainage points needs to be provided. This needs to be updated with the KML file of the area proposed for diversion.	The KML of the chainage point has been provided and the same is inclosed here with as annexure-2 for reference. (PAN DRIVE ATTACHED)
3	As per the google earth imagery dated 24.12.2022 in harra range compartment no-1, partial agriculture and plantation activity has been observed.	The proposed CA land has been provided by the concerned Kaimoor WL division mirzapur there fore, compliance provided by Kaimoor WL division mirzapur is attached (annexure-3).
4	As per the google earth imagery in domkhiri compartment no-1 and robertsganj compartment no-2 the proposed CA land falls under the barren/rocky area.	The proposed CA land has been provided by the concerned Kaimoor WL division mirzapur therefore compliance provided by Kaimoor WL division mirzapur is attached (annexure-3).
5	As per the GIS DSS the proposed CA land Harra, Tenthukar, Parsauna, Shivdwar compartment falls under the Wildlife Sanctuary area it needs to be ascertained that CA scheme is	The proposed CA land has been provided by the concerned Kaimoor WL division mirzapur therefore compliance provided by Kaimoor WL division mirzapur is attached (annexure-3).

	in accordance with prescription of management plan.				
6	As per part-II of the proposal no of trees for falling are 2250 tree in Bahraich, Forest division, 6294 trees in Shrawasti Forest division and 24897 trees in Gonda Forest division (total 33441trees) which is not matching with total filling of trees proposed on state Govt. forwarding letter i.e., 35693 trees this needs clarification.	The no of trees provided under part-II in parivesh as well as forwarding letter of state gont require correction as per the joint inspection report (JIR) issued by concerned forest department, the difference of trees as per JIR and part-II is as under.			
		Forest division	As per JIR	As per part-II	As per state forwarding letter
		Gonad	24897	24897	-
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.	The copy of muck calculation and muck disposal scheme duly signed by authorized signatory of user agency has been submitted in the forest diversion proposal as well as duly uploaded in part-I of parivesh portal.			
8	Plantation scheme for road side plantation needs to be submitted.	Road site plantation scheme is enclosed here with annexure-5.			
9	Noc from concerned dept (like road, irrigation, railway etc) needs to be submitted.	Noc from Railway department for ROB is enclosed here with as annexure-6. Noc from concerned irrigation department structure across canals, which is in the process, will be submitted before stage-II clearance.			
10	The site inspection report of the concerned conservator of forest needs to be submitted.	The site inspection report of CF as provided in part-II of parivesh portal is enclosed here with as annexure-7			

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

भवदीय,


 प्रभागीय वनाधिकारी
 गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।
पत्रांक 1964 / 2-6, दिनांक, बहराइच, अक्टूबर, 27 / 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाघक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाघक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाघक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/147236/2021)

संदर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/१६१/२०२३/एफ०सी०/२९५ दिनांक १०-०८-२०२३, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-४२०/११-सी-FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक १६-०८-२०२३ तथा आपका पत्रांक-५९६/३३-१, दिनांक १७-०८-२०२३ व पत्रांक-११८१/३३-१, दिनांक २२-०९-२०२३।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच ने अपने पत्रांक-२७६/३सी/२०२३ दिनांक ०९-१०-२०२३ द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कमियाँ	आख्या
1	2	3
1	As per the proposal area proposed for diversion is 82.7212 ha. But according to the KML file it is 90.89 ha. Which is not matching. The KML file of the area proposed for diversion needs to be rectified.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
2	The KML of the chainage points needs to be provided. This needs to be updated with the KML file of the area proposed for diversion	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
3	As per the google earth imagery dated 24.12.2022, in Harra Range Compartment no.1, partial agriculture and plantation activity has been observed.	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संलग्न है।
4	As per the google earth imagery in Domkhiri Compartment no.1 and Robertsganj Compartment No.2 the proposed CA land falls under the Barren/Rocky area.	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संलग्न है।
5	As per the GIS DSS the proposed CA land Harra, Tenthukar, Parsauna, Shivdwar compartment falls under the Wildlife Sanctuary area. It needs to be ascertained that CA scheme is in accordance with prescription of Management Plan.	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संलग्न है।
6	As per Part II of the proposal, No. of trees propped for falling are 2250 trees in Bahraich Forest division, 6294 trees in Shrawasti forest division and 24897 trees in Gonda forest division. (Total 33441 trees) which is not matching with total felling of trees proposed on State Govt. forwarding letter i.e., 35693 trees. This needs clarification.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है। श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।

8	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
9	NOC from concerned dept. (like Road, Irrigation, Railway etc.) needs to be submitted.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
10	The Site Inspection Report of the concerned Conservator of Forest needs to be submitted	पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट लगा हुआ है। अतः पुनः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेखों की 03 प्रतियाँ मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय



(संजय शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक.....अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- (2) प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

(संजय शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक.....ब/दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच को उनके पत्रांक-276/3सी/2023 दिनांक 09-10-2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(संजय शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

कार्यालय- प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती

पत्रांक 1045 / 33-1, दिनांक श्रावस्ती नवम्बर, 01 / 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ०प्र० गोण्डा।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रस्तावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाघक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रस्तावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाघक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रस्तावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाघक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल-82.7212 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाघक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू०पी०/०६/161/2023/एफ.सी./295, दिनांक 10.08.2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयांकित एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में विन्दु संख्या-01 से 10 तक लगाई गयी आपत्ति का निस्तारण कर आनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर तीन प्रति मूल में संलग्नकर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०सं०	आपत्ति	निस्तारण
1	As per the proposal area proposed for diversion is 82.7212 ha. But according to the KML file it is 90.89 ha. Which is not matching. The KML file of the area proposed for diversion needs to be rectified.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
2	The KML of the chainage points needs to be provided. This needs to be updated with the KML file of the area proposed for diversion	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
3	As per the google earth imagery dated 24.12.2022, in Harra Range Compartment no.1, partial agriculture and plantation activity has been observed.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
4	As per the google earth imagery in Domkhiri Compartment no.1 and Robertsganj Compartment No.2 the proposed CA land falls under the Barren/Rocky area.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
5	As per the GIS DSS the proposed CA land Harra, Tenthukar, Parsauna, Shivdwar compartment falls under the Wildlife Sanctuary area. It needs to be ascertained that CA scheme is in accordance with prescription of Management Plan.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
6	As per Part II of the proposal, No. of trees for falling are 2250 trees in Bahraich Forest division, 6294 trees in Shrawasti forest division and 24897 trees in Gonda forest division. (Total 33441 trees) which is not matching with total felling of trees proposed on State Govt. forwarding letter i.e., 35693 trees. This needs clarification.	प्रस्ताव के पार्ट-2 में श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती के अन्तर्गत 6294 वृक्ष ही बाधित हो रहे हैं, पत्र के विषय में 8546 वृक्ष त्रुटिवश अंकित हो गया है जबकि 6294 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है

	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
9	NOC from concerned dept. (like Road, Irrigation, Railway etc.) needs to be submitted.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है
10	The Site Inspection Report of the concerned Conservator of Forest needs to be submitted	-

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(धर्मेन्द्र नाथ सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।